

राजस्व अभियान : न्याय आपके द्वार-2017
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर
 (पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
 कैंप स्थल: अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय-
 राजस्व वाद संख्या :- 28/2015 दायरा दिनांक :- 05-03-2015

उनवान प्रकरण:- अशोक कुमार बनाम सत्य-पता
 अन्तर्गत धारा 51-188 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

प्राथमिक निर्णय

दिनांक:- 05-06-2015

पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अशोक कुमार उपस्थित हीरो का 24 (सुनाया)
 वादपत्र में अंकित तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वाद की आलोच्य
 आराजी ग्राम नेपालसाही तहसील कोटकासिम जिला अलवर के हाल रिकार्ड खसरा नम्बर
431/1-05, 439/0-03, 441/1-03, 445/2-00, 446/1-15, 461/1-15, 469/2-06
470/1-02 तथा 386/0-18 एवं 440/1-02 हिस्सेदार (यदि 3 कोटकासिम) जो
 उभयपक्ष के संयुक्त खाते कब्जेकाश्त की आराजी है का उभयपक्ष के मध्य खाता विभाजन किया
 जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद में प्राथमिक निर्णय पारित कर उभयपक्ष के मध्य खाता विभाजन के लिए
 राजस्व रिकार्ड अनुसार बाई मीटर्स एण्ड बाउण्ड पर स्कीम तैयार करने के लिए तहसीलदार
 कोटकासिम को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि वह बटवारा स्कीम तैयार कर नियत
 दिनांक 28/06/15 से पूर्व पेश करें। अहकाम जारी हो। निर्णय कैंप कोर्ट में लिखाया
 जाकर सुनाया गया।

अशोक
 (विश्वामित्र मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम(अलवर)

त्रमांक:-राजस्व/2017/कैंप/28/2015/अ
 दिनांक:- 05-06-2015
 प्रतिलिपि तहसीलदार कोटकासिम को भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना
 अविलम्ब कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करें ताकि वादपत्र का निस्तारण किया जा सके।

अशोक
 उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम(अलवर)